

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-श्योपुर

तिथि - 14/08/2016

दिवाकरवीरीश्वर (रड़.)

द्वारा आज दि 14/08/2016  
प्रस्तुत

कलक अंड कोड 5/16  
राजस्व मण्डल मध्य. ग्वालियर

अनिल कुमार पुत्र श्री विजेन्द्र कुमार  
निवासी- मेन मार्केट बडोदा जिला-  
श्योपुर (म.प्र.)

--आवेदक

विरुद्ध

- 1- मध्य प्रदेश शासन द्वारा - कलेक्टर  
जिला-श्योपुर (म.प्र.)
- 2- तहसीलदार तहसील बडोदा जिला-श्योपुर  
(म.प्र.)

-- अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार, तहसील बडोदा द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 15  
दिनांक 12.08.2015 पारित आदेश दिनांक 01.09.2015 के विरुद्ध म.प्र.  
भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु  
प्रस्तुत है :-

### मामले के सांकेतिक तथ्य :

1. यहांकि, आवेदक के स्वामित्व की भूमि सर्व नं. 1901/1 रकवा 1.818 है0, 1901  
रकवा 0.063, सर्व क्रमांक 2484 रकवा 0.157, 2436 रकवा 0.136, 2576  
रकवा 0.272 कुल किता 5 कुल रकवा 11 बीघा 14 विस्ता अर्थात् 2.446 है0  
कर्त्ता बडोदा तहसील बडोदा जिला श्योपुर में स्थित है। सम्पूर्ण कृषि भूमि पर  
आवेदक अनिल कुमार द्वारा पिछले 20 सालों से कृषि कार्य किया जा रहा है  
उक्त वादित भूमि आवेदक की पैत्रिक भूमि है। इसके अलावा कर्त्ता बडोदा में ही  
अन्य सर्व क्रमांक 3276/1 रकवा 2.487, 3277/1 रकवा 0.105 है0, 3285  
रकवा 0.261 है0, 3286 रकवा 0.418 है0 3289/1 रकवा 0.115, 3291/1  
रकवा 0.094, 3293 रकवा 0.502 है0 स्थित है। जिसमें हेमन्त कुमार पुत्र  
विजय कुमार, रेणु पुत्री विजय कुमार का अधिष्ठत्य है तथा राजस्व अभिलेखों में  
इन्हीं के नाम का इन्द्रांज है, जबकि भूमि सर्व क्रमांक 1900/1, 1900, 2434,  
2436, 2576 कुल रकवा 2.446 है0। आवेदक अनिल कुमार के हिस्से की  
भूमि है। अनिल कुमार के पक्ष में उक्त वर्णित भूमि का वसीयत नामा निष्पादित  
किया गया है तथा पर्वजो द्वारा किये गये पारिवारिक बंटवारे के आधार पर

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1425/एक/2016

जिला-श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
१९-८-१६	<p>यह निगरानी आवेदक द्वारा तहसीलदार बडौदा, जिला श्योपुर के नामान्तरण पंजी क्र. 15 दिनांक 12.08.2015 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2015 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे नं. 1901/1 रकवा 1.818 है 0, 1901 रकवा 0.063, सर्वे क्रमांक 2434 रकवा 0.157, सर्व नं. 2436 रकवा 0.136, सर्व नं. 2576 रकवा 0.272 कुल किता 5 कुल रकवा 11 बीघा 14 विस्वा अर्थात् 2.446 है 0 कस्बा बडौदा तहसील बडौदा, जिला श्योपुर में स्थित है। सम्पूर्ण कृषि भूमि पर आवेदक अनिल कुमार द्वारा पिछले 20 सालों से कृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त वादित भूमि आवेदक की पैत्रिक भूमि है। इसके अलावा कस्बा बडौदा में ही अन्य सर्वे क्रमांक 3276/1 रकवा 2.</p>	

Rb

(M)

	<p>ही अन्य सर्वे क्रमांक 3276/1 रकवा 2.          487, 3277/1 रकवा 0.105 है0,          3285 रकवा 0.261 है0, 3286 रकवा          0.418 है0 3289/1 रकवा 0.115,          3291/1 रकवा 0.094, 3293 रकवा          0.502 है0 स्थित है। जिसमें हेमन्त          कुमार पुत्र विजय कुमार, रेणु पुत्री विजय          कुमार का अधिपत्य है तथा राजस्व          अभिलेखों में इन्हीं के नाम का इन्द्रांज          है, जबकि भूमि सर्वे क्रमांक 1900/1,          1900, 2434, 2436, 2576 कुल          रकवा 2.446 है0 आवेदक अनिल कुमार          के हिस्से की भूमि है। अनिल कुमार के          पक्ष में उक्त वर्णित भूमि का वसीयत          नामा निष्पादित किया गया है तथा पूर्वजों          द्वारा किये गये पारिवारिक बंटवारे के          आधार पर आवेदक एवं हेमन्त कुमार पुत्र          विजय कुमार, रेणु पुत्री विजय कुमार          अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज          होकर कारत कर रहे हैं जिसमें हेमन्त          कुमार पुत्र विजय कुमार, रेणु पुत्री विजय          कुमार द्वारा कुटुरचित फर्जी तरीके से          विवादित भूमि की रजिस्ट्री दिनांक 03.          07.2015 को महिला विजय लक्ष्मी,          ऊषा, सरला पुत्रीयों आनन्ददत्त से करवा          ली है। उक्त रजिस्ट्री विक्रय पत्र के          आधार पर तहसीलदार बडौदा की          नामान्तरण पंजी क्र.15 दिनांक 12.08.          2015 आदेश दिनांक 01.09.2015 से</p>
--	--

४६

Om

आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई अवसर नहीं दिया गया। इसी नामान्तरण पंजी से व्यायित होकर आवेदक द्वारा इस व्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है।


3- यह सही है कि तहसीलदार, तहसील बड़ौदा, नामांतरण पंजी क्र.15 दिनांक 12.08.15 पारित आदेश दिनांक 01.09.2015 के विरुद्ध इस व्यायालय में निगरानी वर्ष 2016 में प्रस्तुत की गयी है परन्तु आवेदक की ओर से अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र देकर बताया गया कि नामांतरण पंजी क्र.15 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2015 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.04.2016 को ग्राम पटवारी द्वारा बताने पर प्राप्त हुयी थी तत्पश्चात् अभिभाषक से सम्पर्क कर दिनांक 29.04.2016 को नकल हेतु आवेदन पत्र लगाया एवं उसी दिन नकल प्राप्त हुयी, तब पंजी पर पारित आदेश दिनांक 01.09.2015 की वास्तविक जानकारी हुयी। वास्तविक जानकारी दिनांक से इस व्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है। वसीरवी विरुद्ध अब्दुल वाहव 1983 जे.एल.जे के व्यायदृष्टांत में स्पष्ट किया गया है कि व्याय हेतु मामला गुणा गुण पर विनिश्चय करना चाहिये। अतः आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 में दिया गया विवरण

	<p>विधान की धारा 5 में दिया गया विवरण समाधान कारक होने से विलंब क्षमा किये जाने योग्य है।</p> <p>4- विद्वान अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को पारिवारिक बंटवारे में उपरोक्त भूमि प्राप्त हुयी है तथा इस भूमि के संबंध में भूमिस्वामी द्वारा आवेदक के हित में वसीयतनामा सम्पादित किया गया है, ऐसी स्थिति में आवेदक वर्तमान प्रकरण में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार थे, ऐसी स्थिति में उन्हें पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर प्रदान किये बिना जो नामान्तरण आदेश पारित गया है, जो स्पष्ट रूप से नामान्तरण नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि विवादित भूमि पर अपना नामान्तरण करवा लिया है जबकि इस संबंध में आवेदक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार थे ऐसी स्थिति में उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये बिना जो आदेश नामान्तरण पंजी पर पारित किया गया है, वह विधिवत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत 1994 आर. एन. 401 एवं 2007 आर.एन.82 में व्यवस्था दी गयी है कि धारा 109 तथा 110 नामान्तरण नियम 27 के अधीन</p>
--	---

आदेशित अवैध है, ऐसी स्थिति नामांतरण पंजी में पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार तहसील बड़ौदा द्वारा नामांतरण पंजी क्र. 15 दिनांक 12.09.2015 पारित आदेश दिनांक 01.09.2015 विधिवत् एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से निरस्त किया जाता है एवं भूमि सर्वे क्रमांक 1900/1, 1900, 2434, 2436, 2576 कुल रकवा 2.446 है। पर आवेदक के नाम पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेखों में अमल किये जाने के निर्देश सक्षम व्यायालय को दिये जाते हैं।

RB



सदस्य